

उत्तराखण्ड में भूमिपंजीकरण कागज़ रहति होगा

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार पूरे राज्य में [भूमिपंजीकरण के लिये कागज़ रहति प्रणाली](#) लागू करने की तैयारी में है।

प्रमुख बिंदु

- **स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग** ने इस पहल के लिये एक आधारभूत रूपरेखा तैयार की है।
- राज्य के वित्तमंत्री **परेमचंद अग्रवाल** ने घोषणा की कि "उत्तराखण्ड ऑनलाइन दस्तावेज़ पंजीकरण नयिमावली 2025" को आगामी कैबिनेट बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।
- कैबिनेट की सहमति मिलने पर इस प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
- **भूमिपंजीकरण का डिजिटल रूपांतरण:**
 - नई प्रणाली का उद्देश्य कागज़ रहति पंजीकरण, [आधार प्रमाणीकरण](#) और आभासी पंजीकरण प्रक्रियाओं को शुरू करके पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना है।
 - संपत्ति लेनदेन में शामिल पक्षों के पास **उप-पंजीयक कार्यालय** में व्यक्तिगत रूप से जाने या [वीडियो कंवाईसी \(अपने ग्राहक को जानें\)](#) के माध्यम से **दस्तावेज़ सत्यापन पूरा करने का विकल्प** होगा।
 - **उप-रजिस्ट्रार डिजिटल हस्ताक्षर** का उपयोग करके प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे और पक्षों को **व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित करेंगे**।
- **महत्त्व:**
 - भूमिलेनदेन प्रक्रिया के साथ **आधार प्रमाणीकरण को एकीकृत करने से सार्वजनिक सुविधा में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा** मिलने की उम्मीद है।
 - इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में **धोखाधड़ी की गतिविधियों पर अंकुश लगाना** है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतबिद्ध है कि भूमि खरीद और बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो।

आधार:

- **आधार एक 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है** जिसे भारत सरकार की ओर से [भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण](#) द्वारा जारी किया जाता है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आती है।
 - **आधार संख्या** प्रत्येक व्यक्ति के लिये अद्वितीय है और जीवन भर मान्य है।
 - आधार संख्या नविसयों को **बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन** और अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी।
 - **जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी** के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है।
 - यह एक स्वैच्छिक सेवा है, जिसका लाभ प्रत्येक नविसी वर्तमान दस्तावेज़ों के बावजूद उठा सकता है।